20/5/26

पत्रावली वास्ते जि०के० पेश हुई वकील-
प्रार्थीगण उपस्थित प्रा.पत्र- प्रार्थीगण मौजूद-
डिक्री पालना हेतु पिंजल जि०के० शामिल डिक्र
जारी नंबर से दर्ज हो

आदेश जारी जारी

GCMS
2026/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

एकता आदि बनाम वीरपाल वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–06/2026

GCMS:- 2026/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के दादा के नाम से वाके चक 4 एपी की जमाबंदी सम्वत् 2042 के खाता संख्या 19 पत्थर नं. 34/29 की 11.00 बीघा कमाण्ड, 34/37 में 4.00 बीघा कमाण्ड, प0न0 34/20 में 12.00 बीघा कुल 27.00 बीघा कमाण्ड का 1/3 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण के दादा मलू की मृत्यु पश्चात् उपर्युक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल को विरासत में मिली है। इस प्रकार वादीया के पिता शंकरलाल को प्राप्त भूमि पैतृक श्रेणी की भूमि है। वादीगण शंकरलाल की पुत्रिया एवं सहदायिक है एवं वादीगण को उपर्युक्त पैतृक सम्पति में जन्म से ही प्राप्त है। समस्त पैतृक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने दानपत्र के द्वारा अपने नाम करवा ली है। वादीगण का पिता सीधा–सादा भोला व्यक्ति है। वादीगण की माता चालाक किस्म औरत है। वादीगण की माता प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 को बहकाकर भूमि अपने नाम करवा ली। वर्तमान में उपर्युक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 4 एपी तहसील सूरतगढ़ में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 96 की 6.831 हैक्टर के खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हो चुकी है। जो कि विधिक अधिकार के बिना शुन्य दस्तावेज के आधार पर दर्ज हुई है। मुताबिक रिकार्ड भूमि पैतृक होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक सम्पति को दान या अन्य तरीके से हस्तातंरण करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही था। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित कथित दानपात्र प्रार्थीगण के हकों पर बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के माता–पिता है। वादीगण सहित प्रतिवादीगण के दो पुत्रियां एवं एक पुत्र है। जो कि अव्यस्क है। ये प्रतिवादी संख्या–1 के साथ रह रहे है। जैरवाद रकबा में कुल 6 सदस्य बतौर सहदायिक पैतृक सम्पति में बराबर के हिस्सेदार है। प्रतिवादीगण जैरवाद रकबा को खुर्द–बुर्द करना चाहते है। यदि उन्होने ऐसा कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज भूमि चक 4 एपी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 96 की कुल 6.831 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि पर वाद पत्र के निर्णय तक किसी प्रकार की दखलदांजी ना करें व किसी भी तरीके से रहन, बैय ना करें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जैरवाद रकबा पूर्व में मलू पुत्र जैसा के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी अंकित था। उनकी मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थी संख्या–2 शंकरलाल पुत्र मलूराम को प्राप्त हुआ। वर्तमान में उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या–1 वीरपाल पत्नी शंकरलाल के नाम से दर्ज है। अप्रार्थीगण–1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रथम दृष्टया मामला रकबा पैतृक होने से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रतीत होती है। प्रार्थीगण को रकबा प्राप्त होगा या नही? यह समस्त तथ्य दावा में तय होने है। किन्तु यदि [illegible] तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रा[illegible]र किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible]ण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सूरतगढ़ के चक 4 एपी की जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 96 [illegible]85 पुराना की कुल 6.831 हैक्टर कमाण्ड भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 वीरपाल पत्नि शंकरलाल के 1/3 हिस्सा को रहन, बैय ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वाद पत्र के निर्णय तक बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:53 IST
Reason: SelfAttested